राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर

आदेश

एकलपीठ फौजदारी विविध याचिका संख्या 5376/2016
विमल चन्द ढड्ढा व अन्य
बनाम
स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य

आदेश दिनांक: 11.11.2016

मानननीय न्यायाधिपति श्री बनवारीलाल शर्मा

श्री कपिल गुप्ता, अधिवक्ता-याची की ओर से।
श्री निशान्त शर्मा, अधिवक्ता- अयाची संख्या-2 की ओर से।
श्री जीतेन्द्र श्रीमाली, लोक अभियोजक।

विद्वान अधिवक्ता श्री निशान्त शर्मा ने अयाची संख्या-2 परिवादी की ओर से उपस्थिति दी।

अधिवक्ता याचीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे श्री शर्मा को आज ही याचिका और उसके साथ एनेक्जर्स की प्रतियां उपलब्ध करावें।

प्रकरण दिनांक 29.11.2016 को पुन: सूचीबद्ध किया जावे।

लोक अभियोजक को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी को अनुसंधान पत्रावली तथा तथ्यात्मक रिपोर्ट के साथ न्यायालय में उपस्थित रखें।

(बनवारी लाल शर्मा)
न्यायाधिपति

मित्तल/70